

आदेश पत्रक

(देखे अभिलेख हस्ताक 1941 का नियम 129)

सुमित्रा कुमारी


बनाम

अंचल अधिकारी, सोनाहातु

आदेश पत्रक ता० से तक

जिला-राँची नामांतरण अपील सं०-.....०७..... सन् 2016-17

केस का प्रकार-दाखिल-खारिज अपील

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी टिप्पणी तारीख सहित																								
19/12/2016	<p>यह वाद सुमित्रा कुमारी पिता-स्व० विश्वभर महतो ग्राम-इड़कू, थाना-सोनाहातु, जिला-राँची द्वारा दाखिल-खारिज वाद संख्या-21R27/16-17 अस्वीकृत होने के पश्चात वांछित कागजात एवं वकालतनामा के साथ प्रारंभ की गयी।</p> <p style="text-align: center;">भूमि का विवरण</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>मौजा</th> <th>खाता सं०</th> <th>प्लॉट सं०</th> <th>रकबा</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>पेड़ेंगचावली</td> <td>35</td> <td>573</td> <td>0.04 ए०</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>578</td> <td>0.01 ए०</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>579</td> <td>0.09 ए०</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>587</td> <td>0.66 ए०</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">कुल-</td> <td>0.79 ए०</td> </tr> </tbody> </table> <p>आवेदक के आवेदन को पंजीकृत कर अंचल अधिकारी, सोनाहातु से एल०सी०आर० व जाँच प्रतिवेदन की मांग करें। प्रथम पक्ष को राजस्व कागजातों के साथ उपस्थित होने हेतु नोटिस निर्गत करें।</p> <p>अभिलेख दिनांक-16/01/2017 को उपस्थापित करें।</p> <p style="text-align: right;">  भूमि सुधार उप समाहता बुन्दू (राँची) </p>	मौजा	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा	पेड़ेंगचावली	35	573	0.04 ए०			578	0.01 ए०			579	0.09 ए०			587	0.66 ए०	कुल-			0.79 ए०	
मौजा	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा																							
पेड़ेंगचावली	35	573	0.04 ए०																							
		578	0.01 ए०																							
		579	0.09 ए०																							
		587	0.66 ए०																							
कुल-			0.79 ए०																							

आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पत्र की गई कार्रवाई टिप्पणी तारीख सहित
27.01.2021	अभिलेख उपस्थापित अपीलार्थी अनुपस्थित दिनांक- 13.02.2021 को रखें। श. भूमि सुधार उपसमाहर्ता बुण्डू (राँची)	
13.02.2021	पीठासीन पदाधिकारी पर अपीलार्थी अधिवक्ता अजरी दिनांक - 23-02-2021 को रखें। 321/- भूमि सुधार उपसमाहर्ता बुण्डू (राँची)	
23.02.2021	अभिलेख उपस्थापित अपीलार्थी वकालत अजरी फुकार पर अनुपस्थित दिनांक - 13.03.2021 को रखें। श. भूमि सुधार उपसमाहर्ता बुण्डू (राँची)	
13.03.2021	पीठासीन पदाधिकारी कार्य में व्यस्त दिनांक - 23.03.2021 को रखें। 321/- भूमि सुधार उपसमाहर्ता बुण्डू (राँची)	
23.03.2021	अभिलेख उपस्थापित अपीलार्थी अधिवक्ता अजरी फुकार पर अनुपस्थित। अभिलेखबद्ध नामांतरण वाद सं- 21 / 2016-17 का Material Decree की सत्यापित प्रति का अवलोकन किया। जिसमें नामांतरण अस्वीकृति का कारण - आवेदित भूमि के क्रय एवं विक्रय दोनों CNA समुदाय के ही भूमि विक्री विना सक्षम -यायालय से अनुमति प्राप्त कर भूमि की विक्री की गई है। इसी आधार पर नामांतरण अस्वीकृत की गई है। उपसमाहर्ता विधि शाखा, राँची के पत्रांक - 217 (ii) दिनांक - 31.01.2012 के द्वारा प्राप्त माननीय मुख्य न्यायाधीश उच्च -यायालय के W.P. (PIL)	

आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई एवं टिप्पणी
	<p>No. - 758/2011 सालखन मुम्बई बनाम म्हायकण्ड सरकार एवं अन्य में दिनांक- 25/01/2012 को पारित आदेशों की प्रति जिसमें मुख्यतः न्यायाधीश प्रकाश राठिया एवं न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह के द्वारा CNA Act का मसौदा से अनुपालन करने का निर्देश दिया है।</p> <p>अतः उपरोक्त अर्थों एवं निर्देशों एवं अभिलेख बन्द दस्तावेजों के अवलोकनोपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि कथित भूमि के विक्रेता कुर्मी जाति के हैं जो CNA से प्रभावित हैं। उपरोक्त भूमि के हस्तांतरण में द्वायनागपुर काराकारी अधिनियम की धारा- 46(1) के अन्वयेन हुआ है अतः इस अधीन वाद को खारिज किया जाता है।</p> <p style="text-align: right;">४-०३/०३ भूमि सुधार उपसमाहर्ता बुण्डू (राँची)</p>	<p>तारीख सहित</p>